ई–मेल / सर्कुलर / आवश्यक

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक,
राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश,
अलीगंज लखनऊ।

सेवा में,

1— समस्त संयुक्त निदेशक(प्रशि० / शिक्षु०), उत्तर प्रदेश।

2— समस्त नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

3— प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः / रा०व्या०प्रशि०परि० / ईएक्स–005 / NCVT MIS PORTAL /अंक पत्रों एवं NTC/2019 /
लखनऊ दिनांक 21 मई, 2020

विषयः <u>प्रवेश सत्र अगस्त–2014, अगस्त–2015, अगस्त–2016, अगस्त–2017 एवं अगस्त–2018 में NCVT मान्यता के अधीन प्रवेशित एवं NCVT MIS PORTAL पर उपलब्ध प्रशिक्षार्थी विवरण में पूर्व में किये गये संशोधन हेतु अनुमोदित किये गये प्रशिक्षार्थी विवरण में आधार नम्बर प्रविष्टि करने हेतु लिंक (LINK) प्रदान करने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्र संख्या–8696 / रा०व्या०प्रशि०परि० / ईएक्स–005 / NCVT MIS PORTAL /अंक पत्रों एवं NTC/2019 / लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के द्वारा प्रवेश सत्र 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 में प्रवेशित एवं NCVTMIS PORTAL जनित ई–अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में प्रशिक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि एवं फोटो इत्यादि के संशोधन के सम्बन्ध में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित वेब पोर्टल www.scvtup.in के माध्यम से निर्धारित की गयी प्रक्रिया अनुसार पूर्ण करायी गयी थी।

पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समस्त प्रधानाचार्य / प्रबन्धक, राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने संशोधन प्रस्तावों को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित वेब पोर्टल www.scvtup.in पर संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था।

अनुमोदित किये गये डाटा में संशोधन हेतु प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया था। डी०जी०टी०, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि डाटा में संशोधन किये जाने हेतु प्रशिक्षार्थियों का आधार नम्बर नहीं है। जिसके कारण संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है एवं **संशोधन हेतु प्रशिक्षार्थियों का आधार नम्बर अनिवार्य है।**

उपरोक्त के क्रम में पूर्व में अनुमोदित किये गये संशोधनों में प्रशिक्षार्थियों के आधार नम्बर अंकित करने हेतु राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित वेब पोर्टल www.scvtup.in के माध्यम से त्रुटि रहित निष्पादन हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1— Open the website www.scvtup.in

2— Go to "ITI Login"

3— Go to "General tab"

4— Go to the link named **"Online Updation of Trainee Adhar number".**

5— All Approved correction will be displayed on this page.

6— Fill the Adhar number field and click on save button.

अतः समस्त प्रधानाचार्य / प्रबन्धक, राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि संचालित वेब पोर्टल www.scvtup.in पर **दिनांक 21—05—2020 से दिनांक 05—06—2020 सायं 05:00** बजे तक परीक्षार्थियों के आधार नम्बर अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर0पी0 यादव)
संयुक्त निदेशक

पत्रांकः 3684/रा0व्या0प्रशि0परि0 / ईएक्स—005 / अंक पत्रों एवं NTC/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वैयक्तिक सहायक, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2— वैयक्तिक सहायक, अधिशासी निदेशक, एस0सी0वी0टी0, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ।

3— विशेष कार्याधिकारी, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ।

4— उप निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ।

5— समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6— प्रबन्धक, मेसर्स—ओमनी नेट, 28, मुरली नगर, हुसैनगंज, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार SCVT PORTAL पर व्यवस्था प्रदान करते हुए पोर्टल **दिनांक 21—05—2020 से दिनांक 05—06—2020 सायं 05:00** बजे तक खोला जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

(आर0पी0 यादव)
संयुक्त निदेशक